



# प्रो० राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पत्रांक : पी0आर0एस0यू0/सम्ब0 (प्र0स0)/<sup>R.P.</sup>236/2022

दिनांक : 07/5/2022

सेवा में,

प्रबन्धक (प्रबन्ध समिति)  
चन्द्रेन्द बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय  
दहियावां, होलागढ़, सोरांव  
प्रयागराज, उ0प्र0।


विषय:—प्रबन्ध समिति को मान्यता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रेषित प्रस्ताव दिनांक—23.02.2022 के संदर्भ में सूचित करना है कि चन्द्रेन्द बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय, दहियावां, होलागढ़, सोरांव, प्रयागराज, उ0प्र0 की दिनांक—08.02.2022 को निम्नलिखित पदाधिकारियों एवं सदस्यों वाली गठित एवं चयनित प्रबन्ध समिति को माननीय कुलपति जी ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 2(13) के आधीन दिनांक: 18.04.2022 से दिनांक 06.12.2022 (पंजीकरण प्रमाण पत्र की विधिमान्य तिथि) तक की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करने की कृपा की है।

क्र०सं०	नाम	पिता/पति का नाम	पद
01	श्री प्रशांत प्रताप सिंह	पुत्र— श्री बृजेन्द्र बहादुर सिंह	प्रबंधक
02	श्री वीरेन्द्र कुमार त्रिपाठी	पुत्र— श्री श्रीनाथ त्रिपाठी	अध्यक्ष
03	श्री अभय यादव	पुत्र— श्री अमृत लाल यादव	उपाध्यक्ष
04	श्री लाल बहादुर सिंह	पुत्र— राज बहादुर सिंह	कोषाध्यक्ष
05	श्री शैलेन्द्र सिंह	पुत्र— श्री विजय रत्न सिंह	आय—व्यय निरीक्षक
06	श्री अशोक सिंह	पुत्र— श्री समर बहादुर सिंह	सदस्य
07	श्री उमेश सिंह	पुत्र— पृथ्वीराज सिंह	सदस्य
08	प्राचार्य	चन्द्रेन्द बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय दहियावां, होलागढ़, सोरांव	पदेन सदस्य
09	शिक्षक प्रतिनिधि	चन्द्रेन्द बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय दहियावां, होलागढ़, सोरांव	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)
10	शिक्षणेत्तर कर्मचारी प्रतिनिधि	चन्द्रेन्द बहादुर सिंह विधि महाविद्यालय दहियावां, होलागढ़, सोरांव	पदेन सदस्य (चक्रानुसार)

नोट— उपरोक्त प्रबन्ध समिति का अनुमोदन प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर किया गया है। भविष्य में प्रस्तुत किये गये अभिलेखों/प्रपत्रों के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय के प्रबन्ध समिति का अनुमोदन स्वतः समाप्त हो जायेगा।

भवदीय  
  
 (एस.के. शुक्ल)  
 कुल सचिव।